UPBS120001652017

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 109/2017

विजय कुमार बनाम गीता देवी

22.09.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 17 ग 2 पर सुना–

प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र 17 ग 2 दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि वादी ने गांव में अफवाह फैलायी कि उसने गीता देवी के दस्तावेज को निरस्त करने का वाद न्यायालय में दाखिल कर दिया है, जो जल्द ही उसके पक्ष में निर्णीत हो जाएगा, जिसके आधार पर प्रार्थिनी ने दिनांक 28.11.2017 को न्यायालय आकर पत्रावली का मुआयना कराया, तब प्रार्थिनी को मुकदमे एवं उसमें पारित एकपक्षीय आदेश दिनांकित 07.11.2017 की जानकारी हुई। प्रार्थिनी को अभी तक मुकदमे में कोई नोटिस/सम्मन प्राप्त नहीं हुआ है। सारी कार्यवाही चुपके से की गयी है। उक्त आदेश के कायम रहने की प्रार्थिनी की अपूर्णीय क्षति है। ऐसी दशा में आदेश दिनांकित 07.11.2017 को रिकाल कर प्रार्थिनी को वादोत्तर/आपत्ति दाखिल करने का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है।

वादी द्वारा आपत्ति कागज सं० 18 ग 2 दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि प्रतिवादी को दावा दाखिल करने की जानकारी दाखिला के समय ही हो गयी थी, परन्तु वह जानबूझकर न्यायालय हाजिर नहीं आयी। प्रतिवादी पर रजिस्ट्री का तामीला भी बजात खास हो गया था, परन्तु वह नियत तिथि को जानबूझकर नहीं आयी। इस प्रकार प्रार्थनापत्र प्रतिवादी दुर्भावनापूर्ण है तथा निरस्त होने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 07.11.2017 को प्रतिवादी के वादोत्तर का अवसर समाप्त करते हुए उनके विरूद्ध वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित करने का आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश को मंसूख कराने हेतु प्रार्थनापत्र 17 ग 2 प्रतिवादी द्वारा दाखिल किया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। विधि की सदैव यह मंशा है कि वाद का निस्तारण पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। जहां तक वादी द्वारा उठायी गयी आपत्ति का प्रश्न है, उसकी प्रतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थनापत्र 17 ग 2 हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 17 ग 2 मु० 100/– रूपए हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। न्यायालय का आदेश दिनांकित 07.11.2017 अपास्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते वादोत्तर/वादबिन्दु दिनांक 13.10.2021 पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।